Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 44 रायपुर, सोमवार 9 मार्च 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया कौन पटाएगा उनका कर्ज : लखमा

मंत्री बघेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

रायपुर, 9 मार्च (हाईवे चैनल)। धान खरीदी के विषय पर कांग्रेस विधायकों ने मंत्री दयालदास बघेल को घेरा. विपक्ष ने कहा कि सरकार धान खरीदी के लिए सिर्फ दिखावा करती है. इसके साथ ही विपक्ष ने मंत्री से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया.

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने वर्ष 2025-26 में हुई धान खरीदी और उसके उठाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान खरीदी के संबंध में जो जानकारी दी है, उसमें धान खरीदी कब शुरू हुई और किस्त का भी उल्लेख करेंगे? इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बस्तर संभाग में कुल 46846.86, बीजापुर में 21888.59, दंतेवाड़ा में 9757, कांकेर में 147528.3, कोंडागांव में 58911.78, नारायणपुर में 17383.06 और सुकमा में 16608.14 मीट्रिक टन धान का कुल उठाव हुआ है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र

विधायक बघेल लखेश्वर ने कहा कि किसान लगातार एसडीएम कार्यालय और हर जगह चक्कर काटता रहा. सबसे बड़ा घोटाला धान खरीदी में हो रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो कोई ईंट खरीद रहा है. इसे गंभीरता से लेना जरूरी है. कितने किसानों को वनाधिकार संख्या जारी है, और कितने ऋणधारी है? इस पर मंत्री ने बताया कि जितना धान अभी बिका है, वह किसी भी वर्ष नहीं बिका है। पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल ने सवाल किया कि बस्तर के कितने किसान हैं, जिनका दूसरा टोकन कटा लेकिन धान नहीं बेच सके? ऐसे कितनी ऋणी किसान हैं, जिनका टोकन कटा फिर भी धान नहीं बेच सके? जो किसान ऋणी है उनका धान खरीदेंगे क्या या उनका कर्जा माफ करेंगे? धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों के जवाब में मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी ऋणी किसानों का धान नहीं खरीदा गया था।

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बजट सत्र के दौरान पहला प्रश्न खाद्य मंत्री से पूछा कि बस्तर संभाग के आदिवासी 32200 से ज्यादा किसानों से धान खरीदी क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि किसानों का धान खरीदा जाएगा या किसानों का कर्जा चुकाया जाएगा. खाद्य मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जो किसानों धान खरीदी केंद्र तक धान लेकर पहुंचे थे, उनका धान हमने खरीदा है, जो नहीं पहुंचे उनका धान नहीं खरीदा गया। इस पर कवासी लखमा ने कहा कि किसानों का पंजीयन हुआ, टोकन कटा, लेकिन उसके बाद भी किसान से धान नहीं खरीदा गया. बस्तर के किसानों को धान का 206 करोड़ रुपया मिलना था, उन किसानों का अब क्या होगा? किसानों ने कर्जा लिया है, उसको कौन पटाएगा. खाद्य मंत्री ने कहा कि जो भी किसान ऋण लेता है, उसका धान खरीदा जाता है. लेकिन धान खरीदा उनका जाता है, जो खरीदी केंद्र तक आते है. इस पर लखमा ने कहा कि जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, उनका कर्जा कौन पटाएगा?

सदन में शून्य काल के दौरान गूंजा दुर्ग में अफीम की खेती का मुद्दा, विपक्ष ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव, 'धान का कटोरा' को 'अफीम का कटोरा' बनाने का लगाया आरोप

विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को शून्य काल के दौरान विपक्ष ने दुर्ग में सामने आई भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती का मुद्दा उठाया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार पर दोषियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर 'धान के कटोरा' को 'अफीम का कटोरा' बनाने की बात कही. पूरे मामले पर सदन में सत्ता पक्ष ओर विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ. इसके साथ सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि राजधानी से 50 किलोमीटर की दूरी पर विनायक ताम्रकार नाम का व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर अफीम की खेती करने में लगा हुआ है. पूरा छत्तीसगढ़ सुलझे नशे से बर्बाद हो रहा है, और जिस ट्रैक से दूसरे तरफ किसानों के धान की खरीदी नहीं की जा रही ऐसे में हमे यह लगता है कि शायद आप लोग यही चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो. छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है. उसे आप लोग अफीम का कटोरा बनान चाहते है. इसमें पूरे शासन के लोग शामिल हैं. यह सामूहिक संरक्षण में किया जा रहा है.

इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मै तो यही कहूंगा कि इसमें कांग्रेस शामिल है. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री का नाम लिया. इसका असली तथ्य कहां है? यह खेती आज से नहीं चालू है. यह खेती 4 साल से हो रही है. वहां की दूरी पाटन से 40 किलोमीटर है. भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह होली के ठीक पहले की घटना है. गांव के लोग लकड़ी इकट्ठा करने गये थे, वहां चने के खेत से होते हुए उन लोगों ने यह खेती देखी. कलेक्टर का कहना है कि विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती हो रही है, पर एफआईआर में नौकर को मुख्य आरोपी बताया गया है. जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम तीसरे नंबर पर है. इसे सबका संरक्षण है, इसलिए दूसरी बात इसमें रकबा नहीं है. कुल मिलाकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है. एफआईआर आखिर इतना लाचार क्यों बनाया गया है. इसे ग्राहय कर इसमें चर्चा कराएं. पहले तो पंजाब जैसे जगहों से केवल नशे के पदार्थ का आना-जाना चलता था, पर अब तो अफीम की यानी नशे की खेती हो रही है. उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने जवाब में कहा कि दुर्ग पुलिस को 6 मार्च को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी. किसी सरपंच से ऐसी सूचना नहीं मिली थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को दिया झटका, कोल स्कैम की शिकायत पर संज्ञान से किया इनकार

नई दिल्ली, 9 मार्च (न्यूज चैनल)। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज धीरज मोर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि ईडी ऐसा क्षेत्राधिकार नहीं ले सकती जो कानून ने उसे नहीं दिया है। यह मामला छत्तीसगढ़ के केसला नॉर्थ कोल ब्लॉक के 2008 में आवंटन से जुड़ा है। ईडी ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके तीन अधिकारियों—पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर उदित राठी, सीईओ प्रदीप राठी और एक पूर्व मैनेजर के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने गलत बयानी का इस्तेमाल करके कोल ब्लॉक हासिल किया। ईडी का दावा था कि यह आवंटन 'क्राइम से प्राप्त संपत्ति' का हिस्सा है, और कंपनी ने इस आधार पर शेयर कैपिटल बढ़ाकर 3.08 करोड़ रुपये का फायदा उठाया।

केसला नॉर्थ कोल ब्लॉक से जुड़ा है मामला

अदालत ने फैसले में कहा, यह मामला ईडी द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण करने का क्लासिकल उदाहरण है, जबकि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इससे साफ इनकार करती है। जज मोर ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत 'क्राइम से प्राप्त संपत्ति' के अस्तित्व को ही स्थापित न होने का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोल ब्लॉक का आवंटन पत्र (5 अगस्त 2008) महज एक प्रारंभिक कदम है, जो माइनिंग लीज के लिए प्राथमिकता देता है, लेकिन इससे कंपनी को कोई वर्तमान अधिकार, टाइटल या हित नहीं मिलता। जज ने लिखा, आवंटन पत्र तब तक 'क्राइम से प्राप्त संपत्ति' नहीं माना जा सकता जब तक इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ न जुड़ा हो। ईडी के इस दावे को भी खारिज किया गया कि कंपनी ने आवंटन पत्र के आधार पर 14 लाख शेयर जारी करके फायदा कमाया। अदालत ने कहा कि आवंटन के बाद भी आरएसपीएल के शेयरों की कीमत घटी, जो बाजार की ताकतों पर निर्भर थी, न कि कोल ब्लॉक पर।

अदालत ने ईडी की पूरी जांच को अनफाउंडेड असम्प्शंस, इल्यूजन्स और कंजेक्चर्स (बेबुनियाद धारणाएं, भ्रम और अनुमान) करार दिया। साथ ही, श्वष्ठ द्वारा अटैच की गई 30 लाख रुपये की संपत्तियों को भी डी-अटैच करने का आदेश दिया। यह केस सीबीआई की भ्रष्टाचार जांच से निकला है, जिसमें 2016 में सभी आरोपी दोषी ठहराए गए थे। सीबीआई का आरोप था कि आरोपी ने भूमि से जुड़े दावों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया ताकि 36वीं स्क्रीनिंग कमिटी आरएसपीएल को कोल ब्लॉक आवंटित कर दे। ईडी ने इसी को आधार बनाकर पीएमएलए के तहत मामला बनाया था। यह फैसला ईडी की जांच और क्षेत्राधिकार की सीमाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर कोलगेट जैसे पुराने मामलों में। राठी स्टील के लिए यह बड़ी राहत है, जबकि ईडी के लिए यह एक झटका है।

ब्रेकिंग न्यूज

ईरान जंग रोकने पर ट्रंप-नेतन्याहू के साथ मिलकर बना रहे प्लान

नई दिल्ली, 9 मार्च (न्यूज चैनल)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म करने का फैसला वह इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार युद्ध 4-6 हफ्ते चल सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका-इज़रायल ने दखल नहीं दिया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष कब खत्म होगा, इसका फैसला वह इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे और दोनों इस पर प्लान भी बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया जाएगा, हालांकि अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ही करेंगे।

ट्रंप का दावा- ईरान इज़रायल को खत्म कर देता

ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और इज़रायल ने मिलकर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान इज़रायल को नष्ट कर देता। उनके अनुसार दोनों देशों ने मिलकर उस खतरे को खत्म किया जो इज़रायल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि यह संघर्ष लगभग चार से छह सप्ताह तक चल सकता है।

चूहा- सुनती हो, दिल्ली उच्चा न्यायालय कह रहा है केजरीवाल-सिसोदिया सुनवाई होने तक आरोप मुक्त नहीं होंगे।

चुहिया- हां जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।

नवा रायपुर तहसील के लिए अधिसूचना जारी, 20 पटवारी हल्के, 39 गांवों के लोगों को अब नहीं आना होगा शहर

रायपुर, 9 मार्च (हाईवे चैनल)। नवा रायपुर के रहवासियों के लिए सुकून भरी खबर है. अब उन्हें जमीन, मुआवजा या राजस्व संबंधित कामों के लिए बार-बार रायपुर शहर या आसपास की तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा. राज्य सरकार ने नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नवा रायपुर के साथ अब रायपुर जिले में रायपुर, मंदिर हसौद अभनपुर, धरसींवा, तिल्दा-नेवरा भी नई तहसील होगी. अभी तक वहां के गांवों के लोगों को राजस्व और प्रशासन संबंधित कामों के लिए रायपुर समेत आसपास के तहसीलों में जाना पड़ता था. लेकिन अब वहां के लोग वहीं की नई तहसील में अपने काम निपटा सकेंगे. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की है. इससे पहले नई तहसील की सीमाओं को लेकर दावा-आपत्ति मंगाई गई थी. इसमें कुछ ही आपत्तियां मिली थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है।

राजस्व निरीक्षक मंडल के 20 पटवारी हल्के में कुल 39 ग्रामों को शामिल किया गया है. इसमें फ्लौद ङ्क परसदा 20, पलौद 21, रीको, सेंध 21, चींचा 23, बरौंदा, 23, रमचंडी 23, कयाबांधा 24, झांझ 24, नवागांव 24, खपरी 24, कुहेरा 25, राखी 25, कोटनी 26, कोटराभाटा 26, तांदुल 26, मंदिर हसौद ङ्क छतौना 22, नवागांव 15, केंद्री- केंद्री 13, परसठ्ठी 13, निमोरा 14, उपरवारा 15, तूता 15, केंद्री 16, झांकी 16, खंडवा 18, भेलवाडीह 18, पचेड़ा 19, तोरला चेरिया 1, पाँता 1, बंजारी 1, तेंदुआ 1, कुरूं 2 सेरीखेड़ी में सेरीखेड़ी 16. नकटी 16, टेमरी 39, धरमपुरा 39, बनरसी 40, रायपुर 18, कांदुल माना 51 शामिल हैं।

नए तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को राजस्व प्रशासनिक कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. इससे समय के साथ पैसे भी बचेंगे. जमीन नामांतरण, खसरा सुधार, बटांकन, डायवर्सन समेत अन्य संबंधित काम में तेजी आएगी. मूल निवासी, जाति, आय समेत कोई भी प्रमाण-पत्र बनाने लोगों को फायदा मिलेगा. सरकारी कामों के लिए लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय या बड़ी तहसील नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ प्रशासन की उपस्थिति से इलाकों में सुरक्षा कानून व्यवस्था पहले से और बेहतर होती है।

ईरान की सत्ता संभालते ही मोजतबा खामेनेई का पहला वार, इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार

नई दिल्ली, 9 मार्च (न्यूज चैनल)। ईरान में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मध्य पूर्व का युद्ध और भड़कता दिखाई दे रहा है। नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कमान संभालते ही इजरायल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए मिसाइलों की बौछार करा दी।

सरकारी मीडिया के मुताबिक यह हमला उनके नेतृत्व में की गई पहली सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है। इस कदम ने पहले से ही तनावपूर्ण मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया है और क्षेत्र में बड़े टकराव की आशंकाएं तेज हो गई हैं।ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में इजरायल की ओर मिसाइलों की पहली लहर दागी गई। आईबीआईबी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि ईरान ने अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में कब्जे वाले इलाकों की तरफ मिसाइलों की पहली लहर दागी है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

सीसीएस की बैठक में ईरान-अमेरिका तनाव पर लिए गए कड़े फैसले

मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि भारत सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने साफ किया कि पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में कई दूरगामी और कड़े फैसले लिए गए हैं। सदन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने बताया कि तनाव की मौजूदा लहर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, जब ईरान के नेतृत्व वाले ठिकानों सहित कई क्षेत्रों पर भीषण हमले हुए। इन हमलों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, जिसे विदेश मंत्री ने वैश्विक शांति के लिए गंभीर चुनौती करार दिया। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल प्रभाव से संयम बरतने और युद्ध रोकने की अपील की है। विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 1 मार्च 2026 को सीसीएस की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से दो मोर्चों पर चर्चा हुई- भारत ने दोहराया है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और लाखों प्रवासी भारतीयों के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बालोद और बेमेतरा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

बालोद/बेमेतरा, 9 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट और विभिन्न जिला कोर्टों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। इसी बीच आज बालोद कोर्ट और बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के जरिए मिली है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

वहीं पुलिस ने कोर्ट परिसर से सभी मजिस्ट्रेटों को सुरक्षित सर्किट हाउस लेकर पहुंची और सभी अधिवक्ताओं को भी बाहर निकाला गया है। फिलहाल, कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम स्क्वॉड की टीम जांच में जुट गई है। बता दें कि 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इसके अलावा, इससे पहले प्रदेश के अन्य जिलों जैसे राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर के न्यायालयों को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।

सुनवाई होने तक आरोपमुक्त नहीं होंगे केजरीवाल-सिसोदिया ट्रायल कोर्ट ने अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 9 मार्च (न्यूज चैनल)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने का निचली अदालत का आदेश अनुचित है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उत्पाद शुल्क नीति का मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक है और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है।

मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को बिना सुनवाई के ही बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने शराब नीति में हेरफेर के लिए साजिश और रिश्वतखोरी को दर्शाने वाले पुख्ता सबूत जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और गवाह सीबीआई के मामले का समर्थन करते हैं। सीबीआई ने कहा कि हमारे द्वारा जुटाए गए सबूतों को नजरअंदाज किया गया है और केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और गवाह सीबीआई के मामले का समर्थन करते हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि शराब नीति की जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूत नीति को छिपाने, एकतरफापन या संवैधानिक अधिकार के बहिष्कार का प्रथम दृष्टया मामला उजागर करने में विफल रहे, और इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर शराब नीति मामले में आरोपी सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। 598 पृष्ठों के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, वर्तमान में उपलब्ध सामग्री से नीति को छिपाने, एकतरफा कार्रवाई करने या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आता है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रक्रिया परामर्श, संचार और प्रशासनिक सावधानी से संचालित थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिसोदिया ने रवि धवन समिति की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था जिसमें उत्पाद शुल्क नीति में विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह नीति पिछली उत्पाद शुल्क नीति की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें वितरण मार्जिन में सुधार भी शामिल है, जो पिछली व्यवस्था के तहत एकाधिकार की प्रवृत्तियों और नियामक खामियों को दूर करने के प्रयासों को दर्शाता है।